समयबद्ध / फैक्स / ईमेल

संख्याः– 09 / 1–10–2016–33(34)/2015-TC-2

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनॉक :: 07 जनवरी, 2016

विषयः– बाढ़–2014, सूखा–2014 तथा ओलावृष्टि–2015 से हुई कृषि क्षति के सापेक्ष किसानों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि तथा राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि का वितरण एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश में बाढ़–2014, सूखा–2014 तथा ओलावृष्टि–2015 से हुई कृषि फसलों की क्षति के सापेक्ष किसानों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आकस्मिकता निधि / राज्य आपदा मोचक निधि / राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि / राज्य सरकार की ओर से लगभग क्रमशः रू0 3021.98 करोड़, रू0 520.49 करोड़, रू0 851.59 करोड़, तथा रू0 718.00 करोड़ की धनराशि अर्थात कुल धनराशि रू0 5112.06 करोड़ स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत की गयी धनराशियों से राहत प्रदान किये जाने एवं व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश धनराशि स्वीकृत संबंधी शासनादेशों में दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्याः 523 / 1–10–2015–33(16)/2015-TC, दिनांक 08.07.2015 तथा शासनादेश संख्याः 901 / 1–10–2015–33(16)/2015-TC-5, दिनांक 08.10.2015 द्वारा भी राज्य आपदा मोचक निधि एवं राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत संबंधी आदेशो का उल्लेख करते हुये निर्धारित प्रारूप 42–आई0 में उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2– जनपदों में राहत वितरण की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष दिनांक 30.12.2015 तक राज्य आकस्मिकता निधि के लेखाशीर्ष से रू0 2793.63 करोड़, राज्य आपदा मोचक निधि के लेखाशीर्ष से रू0 497.73 करोड़, राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि के लेखाशीर्ष से रू0 702.25 करोड़, राज्य सरकार की ओर से दी गयी अतिरिक्त सहायता के लेखाशीर्ष से रू0 536.75 करोड़ अर्थात् कुल रू0 4530.36 करोड़ की धनराशि जनपदों द्वारा आहरित की गयी है। इस प्रकार स्वीकृत धनराशि से रू0 581.70 करोड़ की धनराशि कोषागारों से आहरण ही नहीं की गयी है। **विशेष रूप से यह उल्लेख करना है कि ओलावृष्टि 2015 के मद में कुल रू0 4498.29 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। समस्त जनपदों से मात्र रू0 3403.56 करोड़ की धनराशि के वितरण की सूचना प्राप्त हुई है।**

3– सूखा, बाढ़ एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष राहत का वितरण किया जाना शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों के द्वारा समय–समय पर निर्देश भी निर्गत किये गये हैं परन्तु अभी तक समस्त धनराशि का कोषागार से आहरण न होना यह परिलक्षित करता है कि इसमें तत्परता नहीं बरती जा रही है। अतः प्रभावित किसानों को उपलब्ध धनराशि से तत्काल राहत प्रदान किये जाने के बिन्दु पर जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र एक बैठक कर ली जाय तथा राहत वितरण का शत–प्रतिशत अनुपालन 15 दिन में सुनिश्चित किया जाय। किसानों को राहत वितरण में किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा।

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिलाधिकारीगण द्वारा आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि तथा कोषागार से आहरित धनराशि की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा एक सप्ताह में कर ली जाय तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये प्रतिदिन व्यय का विवरण प्रेषित करने के साथ ही निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र भी शासन को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें।

5– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।